

**अध्याय - 3**  
**वाणिज्यिक कर**

of the study. The first author (JA) was responsible for the design, data collection and analysis. The second author (JR) was responsible for the design and data collection. The third author (SR) was responsible for the design and data collection. The fourth author (SR) was responsible for the design and data collection. The fifth author (SR) was responsible for the design and data collection.

## Methods

### Participants

The study was conducted in a laboratory setting. Participants were recruited from a local university and were paid for their participation. The study was approved by the local ethics committee. The participants were divided into two groups: a control group and an experimental group. The control group consisted of 10 participants and the experimental group consisted of 10 participants. The participants were randomly assigned to either group.

### Procedure

The procedure involved a series of tasks. The participants were first familiarized with the tasks. They then performed the tasks under two conditions: a control condition and an experimental condition. The control condition involved a standard task, while the experimental condition involved a modified task. The participants were then asked to perform the tasks again, this time with a different set of parameters.

### Results

The results showed that the experimental group performed significantly better than the control group. The difference was statistically significant ( $p < 0.05$ ). The experimental group also showed a significant improvement in performance over time. The control group showed no significant change in performance over time.

### Conclusion

The study concluded that the experimental condition led to better performance than the control condition. The results suggest that the modified task in the experimental condition was more effective than the standard task in the control condition. The study also showed that the experimental group improved their performance over time, while the control group did not.

### References

1. Smith, J. (2001). The effects of task design on performance. *Journal of Experimental Psychology*, 132, 123-135.  
2. Jones, M. (2002). The impact of feedback on learning. *Journal of Educational Psychology*, 94, 45-55.  
3. Brown, K. (2003). The role of motivation in learning. *Journal of Educational Psychology*, 95, 123-135.

## अध्याय 3 वाणिज्यिक कर

### 3.1 कर प्रशासन

प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग (वा.क.वि.) के सर्वोच्च स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख है। वाणिज्यिक कर विभाग, आयुक्त वाणिज्यिक कर (आ.वा.क.) के समग्र नियंत्रण में एक निदेशक एवं अतिरिक्त आयुक्त के सहयोग से कार्य करता है। विभाग को पाँच क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक क्षेत्र एक अतिरिक्त क्षेत्रीय आयुक्त के अधीन होता है। इन क्षेत्रों में संभागीय उप आयुक्तों (उप.आयु.) के अधीन 16 संभागीय कार्यालय सम्मिलित हैं। इन संभागों में वाणिज्यिक कर अधिकारियों (वा.क.अधि.)/ सहायक आयुक्तों (सहा.आयु.) के नियंत्रण में 84 वृत्त कार्यालय एवं 19 क्षेत्रीय सहायक आयुक्त के कार्यालय हैं। 01 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) लागू किया गया था और करों को निम्न प्रावधानों के तहत प्रशासित किया गया था:

- मध्य प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 एवं
- मध्य प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर नियम, 2017

### 3.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वाणिज्यिक कर विभाग के राजस्व शीर्ष बिक्री एवं व्यापार आदि पर कर एवं माल और यात्री कर के राजस्व बजट अनुमान के विरुद्ध राजस्व प्राप्तियों के प्रवृत्ति को तालिका 3.1 में दर्शाया गया है।

**तालिका 3.1**  
**प्राप्तियों की प्रवृत्ति**

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	अन्तर का प्रतिशत
2013-14	19,140.00	19,228.59	(+) 0.46
2014-15	22,400.00	20,822.35	(+) 7.04
2015-16	24,500.00	22,890.91	(-) 6.57
2016-17	26,200.00	26,366.16	(+) 0.63
2017-18	26,107.00 <sup>24</sup>	24,839.46 <sup>25</sup>	(-) 4.86

(स्रोत: मध्य प्रदेश शासन के वित्त लेखे एवं बजट अनुमान)

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 2017-18 के दौरान वास्तविक प्राप्तियाँ विभाग द्वारा तैयार संशोधित बजट अनुमान से 4.86 प्रतिशत कम हुईं। लेखापरीक्षा ने पाया कि भारत सरकार से वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्त जी.एस.टी. पर क्षतिपूर्ति की राशि ₹ 2,511 करोड़ शामिल करने के कारण वास्तव में वास्तविक प्राप्ति 4.76 प्रतिशत बढ़ी।

### 3.3 आंतरिक लेखापरीक्षा

लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) ने अपने 65वें प्रतिवेदन (दिसम्बर 2015) में विभाग को आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा स्थापित करने एवं उसके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु निर्देशित किया था।

<sup>24</sup> 01 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के कार्यान्वयन के कारण संशोधित बजट अनुमान के आंकड़े लिए गए हैं।

<sup>25</sup> जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक ₹ 24,839.46 करोड़ की वास्तविक प्राप्ति में ₹ 16,143.34 करोड़ वेट एवं ₹ 8,696.12 करोड़ जी.एस.टी. शामिल है। उपरोक्त के अतिरिक्त, भारत सरकार से वर्ष 2017-18 के दौरान जी.एस.टी. कर क्षतिपूर्ति राशि ₹ 2,511 करोड़ अनुदान के रूप में भी प्राप्त हुई।

विभाग ने सूचित किया (अप्रैल 2019) कि सीमित संसाधनों के कारण आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा की स्थापना नहीं की जा सकी, तथापि मंडल उपायुक्तों/सहायक आयुक्तों द्वारा वृत्त कार्यालयों का रोस्टर निरीक्षण वार्षिक रूप से किया जाता है। संभागीय उपायुक्त कार्यालयों का निरीक्षण अतिरिक्त आयुक्तों द्वारा किया जाता है। निरीक्षण के दौरान कर निर्धारण के प्रकरणों की भी जाँच की जाती है। इसलिए आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा की कोई आवश्यकता नहीं है।

निर्गम सम्मेलन (अप्रैल 2019) के दौरान विभाग ने यह सूचित किया कि मध्य प्रदेश शासन का वित्त विभाग सभी शासकीय विभागों का एक मात्र आंतरिक लेखापरीक्षक था। तथापि, आंतरिक लेखापरीक्षा को मजबूत करने के लिए एक प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा जाएगा।

यद्यपि, विभाग के द्वारा लो.ले.स. के आदेशों का अभी (मई 2019) पालन करना शेष है।

#### अनुशंसा:

विभाग को अपनी आंतरिक नियंत्रण वातावरण को बेहतर बनाने के लिए लो.ले.स. की सिफारिशों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए और पूरी तरह कार्यात्मक आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा स्थापित करना चाहिए।

### 3.4 लेखापरीक्षा के परिणाम

वाणिज्यिक कर विभाग (वा.क.वि) में 132 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयाँ हैं। जिनमें से नमूना जाँच हेतु 94 इकाईयों<sup>26</sup> का चयन किया गया। विभाग द्वारा वर्ष 2016-17 के दौरान लगभग ₹ 26,366.16 करोड़ सकल राजस्व प्राप्त किया गया जिसमें से लेखापरीक्षित इकाईयों ने ₹ 20,590.54 करोड़ (78.09 प्रतिशत) संग्रहित किया। चयनित इकाईयों में 76,797 कर निर्धारण किए गए जिनमें से वर्ष 2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा 76,233 कर निर्धारणों (लगभग 99 प्रतिशत) की नमूना जाँच की गई एवं 1,170 प्रकरणों (लेखापरीक्षा हेतु चयन का लगभग 1.5 प्रतिशत) में कर/ब्याज का कम आरोपण/अनारोपण, आगत कर छूट की अनियमित प्रदाय, कर को त्रुटिपूर्ण दर लागू करना और अधिनियम/नियमों के प्रावधानों का अनुपालन न करना, जैसे प्रकरण ध्यान में आये जिसमें ₹ 220.46 करोड़ की राशि सम्मिलित थी। ये प्रकरण केवल उदाहरणात्मक हैं क्योंकि ये अभिलेखों की नमूना जाँच पर आधारित हैं। लेखापरीक्षा ने पूर्व के वर्षों में भी कुछ इसी तरह की कमियों को इंगित किया था लेकिन अनियमितताएँ न केवल बनी रही, बल्कि आगामी लेखापरीक्षा में परिलक्षित होने तक अनदेखी रहीं। देखी गई अनियमितताएँ निम्नांकित श्रेणियों के अन्तर्गत विस्तृत रूप से आती हैं जैसा तालिका 3.2 में दर्शाया गया है:

#### तालिका 3.2

#### लेखापरीक्षा के परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्गीकरण	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	कर का कम अनारोपण/आरोपण नहीं किया जाना	232	29.77
2.	कर की त्रुटिपूर्ण दर का आरोपण	148	43.17
3.	कर का त्रुटिपूर्ण निर्धारण	326	77.42
4.	त्रुटिपूर्ण छूट/कटौती प्रदान किया जाना	177	39.21
5.	अन्य	287	30.89
	<b>कुल</b>	<b>1,170</b>	<b>220.46</b>

<sup>26</sup> प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर का कार्यालय, 22 संभागीय कार्यालय, 30 क्षेत्रीय कार्यालय तथा 41 वृत्त कार्यालय।

इन लेखापरीक्षा अभियुक्तियों को शासन एवं विभाग को जून 2017 और मई 2018 के मध्य संप्रेषित किया गया था। विभाग ने इनमें से, 734 प्रकरणों में ₹ 169.48 करोड़ के कर का कम निर्धारण और अन्य अनियमितताओं की समीक्षा करना स्वीकार किया। इस संबंध में आगामी प्रगति वसूली सहित लेखापरीक्षा में ध्यान में रखी जायेगी।

विभाग ने यह भी सूचित किया कि वर्ष 2017-18 के दौरान एक प्रकरण में ₹ 0.52 लाख का राजस्व वसूल किया गया (सितम्बर 2019)।

### 3.5 पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में लेखापरीक्षा ने 123 कण्डिकाओं में ₹ 1,181.30 करोड़ की विभिन्न आपत्तियों को इंगित किया गया था जिसके विरुद्ध विभाग द्वारा आज दिनांक तक केवल ₹ 0.88 करोड़ की वसूली की गई।

लो.ले.स. ने वर्ष 2007-08 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की समान कण्डिकाओं के लिए पहले ही अपनी अनुशांसाएं एवं निर्देश दिये (384 वें प्रतिवेदन, 2016-17) थे। उनमें से कुछ निर्देश इस प्रकार थे: (1) विभाग को गंभीर अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करनी चाहिए; (2) समिति को प्रवेश कर की वसूली और संबंधित व्यवसायियों से जुर्माने की कानूनी कार्रवाई के बारे में सूचित किया जाना चाहिए; (3) विभाग को संबंधित व्यवसायी से जल्द से जल्द बकाया कर वसूल करना चाहिए और वित्त विभाग और महालेखाकार को सूचित करना चाहिए; भविष्य में ऐसी घटना न हो इसके लिए आवश्यक निर्देश/आदेश जारी किए जाए।

विभाग ने सूचित किया (अप्रैल 2019) कि लो.ले.स. के निर्देशों के अनुपालन में उपयुक्त कार्रवाई की गई थी, आवश्यक विस्तृत निर्देश जारी किए गए और आपत्ति लिए गए प्रकरणों में वसूली की गई थी। दोषी अधिकारी के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही के संदर्भ में, विभाग ने कहा कि कुछ अधिकारी सेवानिवृत्त हो गए थे और शेष अधिकारियों को राजस्व हानि का दोषी नहीं पाया गया क्योंकि इन अधिकारियों द्वारा पारित कर निर्धारण आदेश के विरुद्ध कोई कर की माँग बकाया नहीं थी।

तथापि, विभाग समान प्रकार की अनियमितताओं के जारी रहने को रोकने में विफल रहा।

कुछ उदाहरणात्मक प्रकरण जिनमें ₹ 20.46 करोड़ की शासकीय राजस्व की हानि अंतर्निहित है, का उल्लेख अनुवर्ती कण्डिकाओं में किया गया है:

### 3.6 टर्नओवर का गलत निर्धारण

**कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा ₹ 37.83 करोड़ कर योग्य टर्नओवर का कम निर्धारण किया गया। परिणामस्वरूप कर ₹ 2.91 करोड़ एवं शास्ति ₹ 3.25 करोड़ का आरोपण नहीं हो सका।**

मध्य प्रदेश वैट अधिनियम में यह प्रावधान है कि कम कर के निर्धारण के लिए यदि करदाता उत्तरदायी है तो निर्धारित किये गये कर के 3 से 3.5 गुना के मध्य शास्ति आरोपित किया जाना है।

पाँच संभागीय कार्यालयों<sup>27</sup>, 10 क्षेत्रीय कार्यालयों<sup>28</sup> और 24 वृत्त कार्यालयों<sup>29</sup> के 2011-12 और 2015-16 के अवधि के 76 प्रकरणों, जिनका कर निर्धारण जुलाई 2014

<sup>27</sup> उप.आयु.- भोपाल (कर लेखापरीक्षा शाखा), छिंदवाड़ा, ग्वालियर-2, इंदौर (कर ले.प. शाखा-1) और सतना।

<sup>28</sup> सहा.आयु.- भोपाल-2, ग्वालियर-2, ग्वालियर-3, इंदौर-11, जबलपुर-1, खंडवा-2, मुरैना, नीमच, पीथमपुर (धार) और उज्जैन-1।

<sup>29</sup> वा.क.अधि.- अनूपपुर, अशोकनगर, बालाघाट, भोपाल (ए. एंड एल.), बुरहानपुर, छिंदवाड़ा-1, छिंदवाड़ा-2, धार, गुना-2, गुना, होशंगाबाद, इंदौर-1, इंदौर-2, इंदौर-4 इंदौर-13, इंदौर-14, इंदौर-15, इटारसी, मंडला, राजगढ़, सतना-2, शाजापुर, उज्जैन-2 और उज्जैन-3।

और जनवरी 2017 के मध्य किया गया था, के अभिलेखों की नमूना जाँच (फरवरी 2017 तथा जनवरी 2018 के मध्य) में देखा गया कि कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा ₹ 37.83 करोड़ के कम टर्नओवर अवधारित किये गये थे। इन 76 प्रकरणों में से, 55 प्रकरणों में विक्रय मूल्य, लाभ एवं अन्य प्राप्ति को लेखे में नहीं/कम दर्शाने के कारण, कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा कम टर्नओवर अवधारित किया गया था। टर्नओवर अवधारित करते समय छः प्रकरणों में अंकेक्षित लेखे के आँकड़ों को नहीं लिया गया। आगे 11 प्रकरणों में वैट तथा उत्पाद शुल्क की निम्न दरों को लागू किया गया था जबकि चार प्रकरणों में आधिक्य/त्रुटिपूर्ण कटौतियाँ प्रदाय की गई थी। इस प्रकार, संबंधित कर निर्धारण अधिकारी, कर निर्धारण के समय सही कर योग्य टर्नओवर का अवधारण करने में विफल रहे। परिणामस्वरूप, ₹ 2.91 करोड़ का कर और ₹ 3.25 करोड़ की शास्ति आरोपित नहीं की जा सकी। कर निर्धारण अधिकारियों के उत्तर एवं उन पर हमारे अभिमत का विस्तृत विवरण परिशिष्ट III में दर्शाया गया है।

विभाग ने निर्गम सम्मेलन (अप्रैल 2019) में बताया कि प्रकरणों का पुनः कर निर्धारण कर विस्तृत उत्तर प्रस्तुत किया जाएगा।

वर्ष 2016-17 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में समान प्रकार की आपत्तियों का उल्लेख किया गया था। यद्यपि, लेखापरीक्षा में कर निर्धारण अधिकारियों की ऐसी चूक का उल्लेख किया गया था, लेकिन ये अनियमितताएँ न केवल बनी रही, बल्कि आगामी लेखापरीक्षा होने तक अनदेखी रही।

अंतिम कार्यवाही और वसूली की निगरानी लेखापरीक्षा में रखी जाएगी।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया (नवंबर 2017 और जुलाई 2018 के मध्य) था, लेकिन अब तक (सितंबर 2019) कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

### 3.7 अस्वीकार योग्य आगत कर की छूट को लागू करना

**कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा मान्य ₹ 45.17 करोड़ के विरुद्ध ₹ 48.07 करोड़ की आगत कर छूट प्रदाय की गई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.90 करोड़ के कर का कम संग्रहण हुआ। ₹ 2.20 करोड़ की शास्ति भी आरोपित नहीं की गई।**

म.प्र. वैट अधिनियम (2002) में प्रावधान है कि जब एक पंजीकृत व्यवसायी किसी अन्य पंजीकृत व्यवसायी से कुछ विशिष्ट सामग्रियों को क्रय करता है व उसके लिए आगत कर चुकाता है तो उसे आगत कर छूट की पात्रता होगी। आगत कर की यह छूट वास्तव में भुगतान किये गये आगत कर से अधिक नहीं होगी। यदि आगत कर में त्रुटिपूर्ण छूट के प्रदाय के लिए व्यवसायी उत्तरदायी पाया जाता है तो शास्ति भी आरोपित की जावेगी।

अधिनियम में आगे यह भी प्रावधान है कि यदि विक्रेता पंजीकृत व्यवसायी के द्वारा संग्रहित किये गये कर को देयक, बीजक अथवा नगद पर्ची में पृथक से नहीं दर्शाया जाता है तो आगत कर में छूट के लिए न तो कोई दावा किया जावेगा और न ही उसे स्वीकृत किया जावेगा।

लेखापरीक्षा ने चार संभागीय कार्यालयों<sup>30</sup>, आठ क्षेत्रीय कार्यालयों<sup>31</sup> और 22 वृत्त कार्यालयों<sup>32</sup> के कर निर्धारण आदेश, अंकेक्षित लेखे, विवरणियाँ, विक्रय सूची आदि अभिलेखों की नमूना जाँच की (मई 2017 एवं अप्रैल 2018 के मध्य) और पाया कि 70

<sup>30</sup> उप.आयु.— भोपाल-2, इंदौर-3, इंदौर (कर ले.प. शाखा-1) और सतना।

<sup>31</sup> सहा आयु.— भोपाल-3, भोपाल-2, ग्वालियर-2, इंदौर-2, इंदौर-11, जबलपुर-1, नीमच और उज्जैन-1।

<sup>32</sup> वा.क.अधि.— अनुपपूर, अशोकनगर, बालाघाट, भोपाल-2, भोपाल-4, भोपाल-5, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा-1, छिंदवाड़ा-2, देवास, गुना, होशंगाबाद, इंदौर-1, इंदौर-4, इंदौर-13, इंदौर-14, इंदौर-15, मंडला, रायगढ़, सतना-1, सीहोर और शहडोल।

प्रकरणों, जो 2011-12 से 2014-15 की अवधि में अप्रैल 2015 और अप्रैल 2017 के मध्य निर्धारित किये गये थे, में कर निर्धारण प्राधिकारियों ने क्रय सूची एवं अंकेक्षित लेखों को ध्यान में लिए बिना व्यवसायियों के द्वारा प्रस्तुत विवरणियों के आधार पर अधिक आगत कर छूट प्रदाय की गई।

28 प्रकरणों में व्यवसायियों के द्वारा जो आगत कर का भुगतान किया गया था वह उनके विवरणियों में छूट के लिए किये गये दावे से कम था, और 21 प्रकरणों में अमान्य होने के बाद भी आगत कर में छूट प्रदान कर दी गई थी। अन्य प्रकरणों में या तो कर मुक्त मालों पर आगत कर छूट दी गई या दोहरी छूट दी गई। कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा सही आगत कर छूट निर्धारण में विफल होने के परिणामस्वरूप स्वीकार नहीं करने योग्य आगतकर छूट ₹ 2.90 करोड़ दी गई और शास्ति ₹ 2.20 करोड़ आरोपित नहीं की गयी। कर निर्धारण प्राधिकारियों के उत्तर एवं उस पर हमारे अभिमत परिशिष्ट IV में दर्शाए गये हैं।

निर्गम सम्मेलन (अप्रैल 2019) में विभाग ने आपत्तियों को स्वीकार किया और सूचित किया कि प्रकरणों का पुनःनिर्धारण करने के पश्चात् विस्तृत उत्तर प्रस्तुत किया जावेगा जो कि अब तक (मई 2019) अप्राप्त थे।

वर्ष 2016-17 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में भी समान प्रकार की आपत्तियों को इंगित किया गया था। लेखापरीक्षा में यद्यपि कर निर्धारण प्राधिकारियों की ऐसी चूक का उल्लेख किया गया था, परन्तु ये अनियमितताएँ न केवल बनी रही, बल्कि आगामी लेखापरीक्षा होने तक अनदेखी रही।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया (अगस्त 2017 और जुलाई 2018 के मध्य) था, लेकिन अब तक (सितंबर 2019) कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

### 3.8 प्रवेश कर का अनारोपण/कम आरोपण

मशीनरी, पत्थर, मोटर कार के ऑटो पार्ट्स, सीमेंट, लोहा एवं इस्पात, तेल, विस्फोटक, सोयाबीन, एच.डी.पी.ई. से बुना बस्ता, कोयला, इत्यादि वस्तुओं के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर प्रवेश कर या तो आरोपित नहीं किया गया था या फिर त्रुटिपूर्ण आरोपित किया गया था। परिणामस्वरूप ₹ 1.94 करोड़ के प्रवेश कर की प्राप्ति नहीं हो सकी और इसके फलस्वरूप शास्ति ₹ 2.52 करोड़ अनारोपित रही।

प्रवेश कर अधिनियम में प्रावधान है कि यदि प्रवेश कर के कम निर्धारण के लिए व्यवसायी उत्तरदायी होता है तो निर्धारित कर के ऊपर कम से कम तीन गुना शास्ति आरोपित की जावेगी।

सात संभागीय कार्यालयों<sup>33</sup>, 11 क्षेत्रीय कार्यालयों<sup>34</sup> और 17 वृत्त कार्यालयों<sup>35</sup> के 2012-13 और 2014-15 के मध्य 52 प्रकरणों, जिनका कर निर्धारण दिसंबर 2014 एवं अक्टूबर 2017 के मध्य किया गया था, के अभिलेखों जैसे कर निर्धारण आदेश, अंकेक्षित लेखे, विवरणियाँ, विक्रय सूचि आदि अभिलेखों की नमूना जाँच (मई 2017 एवं मई 2018 के मध्य) में पाया गया कि स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर माल जैसे मशीनरी, पत्थर, मोटर कार के ऑटो पार्ट्स, सीमेंट, लोहा एवं इस्पात, तेल, विस्फोटक, सोयाबीन, एच.डी.पी.ई. से बुना बस्ता, कोयला, इत्यादि पर प्रवेश कर या तो आरोपित नहीं किया गया था या फिर त्रुटिपूर्ण आरोपित किया गया था।

<sup>33</sup> उप.आयु.— भोपाल-1, भोपाल-2, छिंदवाडा, ग्वालियर (कर ले.प. शाखा) और ग्वालियर-2।

<sup>34</sup> सहा आयु.— भोपाल-2, छिंदवाडा-1, ग्वालियर-2, इंदौर-1, इंदौर-2, जबलपुर-1, जबलपुर-2 खंडवा-2, मुरैना, पीथमपुर (धार) और उज्जैन-1।

<sup>35</sup> वा.क.अधि.— अशोकनगर, अनूपपुर, बालाघाट, भोपाल-5, छिंदवाडा-1, धार, गुना, गुना-2 इंदौर-1, इंदौर-2, इंदौर-14, इटारसी, मंडला, सतना-1, सीहोर, शहडोल और उज्जैन-3।

इन 52 प्रकरणों में से 22 प्रकरणों में प्रवेश कर, लागू होने वाले दर की तुलना में निम्न दर से आरोपित किया गया, 24 प्रकरणों में आरोपणीय प्रवेश कर को आरोपित नहीं किया गया, पाँच प्रकरणों में कम क्रय पर प्रवेश कर की छूट दी गयी एवं एक प्रकरण में जिस माल पर प्रवेश कर आरोपणीय था वह कर योग्य सकल टर्नओवर में सम्मिलित नहीं किया गया। संबंधित कर निर्धारण प्राधिकारी कर की सही गणना करने में विफल रहे, परिणामस्वरूप ₹ 1.94 करोड़ प्रवेश कर की प्राप्ति नहीं हो सकी एवं ₹ 2.52 करोड़ शास्ति आरोपित नहीं की गई।

इसके इंगित किये जाने पर (मई 2017 और मई 2018 के मध्य) कर निर्धारण प्राधिकारियों के उत्तर एवं उन पर हमारे अभिमत को **परिशिष्ट V** में दर्शाया गया है।

निर्गम सम्मेलन (अप्रैल 2019) में विभाग ने सूचित किया कि विस्तृत उत्तर प्रकरणों के पुनर्निर्धारण आदेशों एवं माँग पत्र की प्रतियों के साथ प्रस्तुत किया जावेगा।

वर्ष 2016-17 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में भी समान प्रकार की आपत्तियों को इंगित किया गया था। लेखापरीक्षा में यद्यपि कर निर्धारण प्राधिकारियों की ऐसी चूक का उल्लेख किया गया था, परन्तु ये अनियमितताएँ न केवल बनी रही, बल्कि आगामी लेखापरीक्षा होने तक अनदेखी रही।

अंतिम कार्यवाही एवं वसूली की निगरानी लेखापरीक्षा में रखी जायेगी।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया (दिसम्बर 2017 और जुलाई 2018 के मध्य) था, लेकिन अब (सितंबर 2019) तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

### 3.9 कर की त्रुटिपूर्ण दर को लागू किया जाना

**कर निर्धारण प्राधिकारियों के कर की सही दर को लागू करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप ₹ 1.32 करोड़ के कर के अतिरिक्त ₹ 1.73 करोड़ की शास्ति का भी कम आरोपण हुआ।**

म.प्र. वैट अधिनियम 2002, में प्रावधान है कि कर भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यवसायी के कर योग्य टर्न ओवर पर अधिनियम की अनुसूची-दो में संबंधित सामग्री के समक्ष कालम (3) में दी गई प्रविष्टि के अनुसार कर का आरोपण किया जायेगा।

दो संभागीय कार्यालयों<sup>36</sup>, नौ क्षेत्रीय कार्यालयों<sup>37</sup> और 13 वृत्त कार्यालयों<sup>38</sup> के अभिलेखों की लेखापरीक्षा नमूना जाँच में प्रकट हुआ कि 2012-13 और 2015-16 अवधि के मध्य निर्धारित किये गये 44 व्यवसायियों के 43 प्रकरणों में जिनका कर निर्धारण दिसंबर 2014 और जनवरी 2017 के मध्य किया गया था, कर निर्धारण प्राधिकारियों ने, ट्रेक्टर एसेसरीज, सीमेंट पोल, ऑटो पार्ट्स, कोटा स्टोन, पेट्रोल, डीजल और ल्यूब्रिकेन्ट, पैकिंग सामग्री, प्लाण्ट एवं मशीनरी आदि जो उच्च दर से कर योग्य थे, पर त्रुटिपूर्ण कर दर लागू किया गया जैसा नीचे **तालिका 3.3** में दर्शाया गया है:

<sup>36</sup> उप.आयु.— ग्वालियर (टी.ए.डब्ल्यू) और छिंदवाड़ा।

<sup>37</sup> सहा आयु.— ग्वालियर-2, ग्वालियर-3, इंदौर-2, खंडवा-2, मुरैना, नीमच, पीथमपुर, सागर और उज्जैन-1।

<sup>38</sup> वा.क.अधि.— बालाघाट, भोपाल-2, भोपाल-5, भोपाल (ए. एण्ड एल.), धार, गुना, होशंगाबाद, इंदौर-1, इंदौर-4, इंदौर-13, इंदौर-14, सीहोर और शहडोल।



### तालिका 3.3 त्रुटिपूर्ण कर दर लगाया जाना

क्र. स.	त्रुटिपूर्ण दर लगाने की संख्या	कर दर जो लगाया जाना था (प्रतिशत)	लगाया गया कर दर (प्रतिशत)
1.	36	13	3 या 5
2.	5	5 या 13	निरंक
3.	4	31	23 या 27
4.	3	27	23
5.	1	5	4
6.	3	13	@ ₹ 1 प्रति वर्ग फिट की दर से
7.	1	14	5

इसप्रकार, कर निर्धारण प्राधिकारी अधिनियम के प्रावधानों नियमों और विभागीय परिपत्रों को लागू कर वस्तुओं को सही रूप में वर्गीकृत करने एवं कर की उपयुक्त दर लागू करने में विफल रहे। उसके परिणामस्वरूप ₹ 1.32 करोड़ कर तथा उस पर ₹ 1.73 करोड़ शास्ति का कम आरोपण किया गया।

राजस्व की कम वसूली, लेखापरीक्षा आपत्ति, कर निर्धारण प्राधिकारियों के उत्तर और उस पर हमारे अभिमत का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट VI** में दर्शाया गया है।

निर्गम सम्मेलन (अप्रैल 2019) में विभाग ने बताया कि इन प्रकरणों को पुनः खोला जायेगा और पुनर्निर्धारण किया जायेगा।

वर्ष 2016-17 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में भी समान प्रकार की आपत्तियों को इंगित किया गया था। लेखापरीक्षा में यद्यपि कर निर्धारण प्राधिकारियों की ऐसी चूक का उल्लेख किया गया था, परन्तु ये अनियमितताएँ न केवल बनी रही, बल्कि आगामी लेखापरीक्षा होने तक अनदेखी रही।

अन्तिम कार्यवाही एवं वसूली की निगरानी लेखापरीक्षा में रखी जायेगी।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया (अप्रैल 2017 और अप्रैल 2018 के मध्य) था, लेकिन अब तक (सितंबर 2019) कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

#### 3.10 केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अन्तर्गत कम कर का आरोपण/अनियमित रियायत का प्रदाय किया जाना

**कर निर्धारण प्राधिकारियों के अन्तर्राज्यीय विक्रय के प्रावधानों को लागू करने में विफल होने के परिणामस्वरूप ₹ 1.43 करोड़ कर की कम प्राप्ति हुई तथा ₹ 26.30 करोड़ की शास्ति भी अनारोपित रही।**

केन्द्रीय विक्रय कर (सी.एस.टी.) अधिनियम 1956 में प्रावधान है कि यदि व्यवसायी अन्तर्राज्यीय विक्रय का दावा करता है (जो उसे टर्नओवर पर दो प्रतिशत के कर भुगतान का पात्र बनाता है) और कर करने वाले व्यवसायी का प्रपत्र 'ग' में हस्ताक्षरयुक्त घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो वह उपयुक्त राज्य के अन्दर विक्रय या क्रय पर लगने वाले दर से कर भुगतान करने का उत्तरदायी होगा, और इसके अतिरिक्त इस प्रकार निर्धारित कर का तीन गुना शास्ति का भुगतान भी करेगा।

दो संभागीय कार्यालयों<sup>39</sup>, तीन क्षेत्रीय कार्यालयों<sup>40</sup> और पाँच वृत्त कार्यालयों<sup>41</sup> के अभिलेखों के नमूना लेखापरीक्षा जाँच (मई 2017 और नवम्बर 2017 के मध्य) में प्रकट

<sup>39</sup> उप.आयु.- ग्वालियर-2 और इंदौर-2।

<sup>40</sup> सहा आयु.- इंदौर-1, खंडवा एवं बैदन।

<sup>41</sup> वा.क.अधि.- भोपाल-1, ग्वालियर-3, इंदौर-10, सतना-2 और उज्जैन-2।

हुआ कि 10 व्यवसायों के 10 प्रकरणों में वर्ष 2014-15 कर निर्धारण के लिए जिनका कर निर्धारण अप्रैल 2016 और जनवरी 2017 के मध्य किया गया था, कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर (सी.एस.टी.) अधिनियम के अन्तर्गत अनियमित रियायत प्रदान की गई।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि, छः प्रकरणों में कर निर्धारण प्राधिकारियों ने अन्तर्राज्यीय विक्रय पर रियायती दर से कर प्रपत्र 'ग' समर्थित घोषणा-पत्र के बिना स्वीकार किया, इसी प्रकार एक प्रकरण में कर निर्धारण प्राधिकारियों ने विक्रय में कटौती प्रपत्र ई-1 के न होने पर भी छूट स्वीकार की। कर निर्धारण प्राधिकारी ने एक प्रकरण में छूट प्रपत्र 'ग' पर बिना हस्ताक्षर के मान्य किया। एक प्रकरण में, कर निर्धारण प्राधिकारी ने अन्तर्राज्यीय विक्रय में छूट को प्रपत्र ई-1 एवं प्रपत्र 'ग' के समर्थन के बिना त्रुटिपूर्ण रूप से स्वीकार किया जबकि प्रपत्र ई-1 समर्थित विक्रय कर निर्धारण वर्ष 2013-14 से संबंधित था। एक अन्य प्रकरण में, कर निर्धारण प्राधिकारी ने समान प्रकृति के प्रपत्र 'ग' समर्थित विक्रय के संबंध में त्रुटिपूर्ण रूप से छूट को स्वीकार किया। पुनः दो प्रकरणों में, कर निर्धारण प्राधिकारी ने विक्रय में छूट को, प्रपत्र 'ग' को TINXSYS पर सत्यापन के बिना मान्य किया। कर निर्धारण प्राधिकारियों ने चार प्रकरणों में पाँच प्रतिशत लागू होने वाले कर के स्थान पर दो प्रतिशत कर लागू किया और तीन प्रकरणों में 13 प्रतिशत लागू होने वाले कर के स्थान पर दो प्रतिशत कर लागू किया।

संबंधित कर निर्धारण प्राधिकारियों ने, अधिनियम में उपयुक्त दर से कर लगाने के स्पष्ट प्रावधानों की उपेक्षा करके उपयुक्त कर निर्धारण में त्रुटि की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.43 करोड़ कर कम प्राप्त हुआ तथा ₹ 26.30 लाख की शास्ति भी अनारोपित रही (परिशिष्ट VII)।

निर्गम सम्मेलन (अप्रैल 2019) के दौरान, विभाग ने बताया कि प्रपत्र 'ग' का सत्यापन किया जायेगा और यदि आवश्यक हुआ तो, प्रकरणों को पुनः खोलकर पुनः कर निर्धारण किया जायेगा।

वर्ष 2016-17 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में भी समान प्रकार की आपत्तियों को इंगित किया गया था। लेखापरीक्षा में यद्यपि कर निर्धारण प्राधिकारियों की ऐसी चूक का उल्लेख किया गया था, परन्तु ये अनियमितताएँ न केवल बनी रही, बल्कि लेखापरीक्षा होने तक अनदेखी रही।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया (जुलाई 2017 और जनवरी 2018 के मध्य) था, लेकिन अब तक (सितंबर 2019) कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

अधिकांश लेखापरीक्षा आपत्तियाँ इस प्रवृत्ति की हैं, कि समान त्रुटियाँ/चूक राज्य के संबंधित शासकीय विभागों की अन्य इकाईयों में भी पायी जा सकती हैं, परन्तु जिन्हें वर्ष के दौरान नमूना जाँच में शामिल नहीं किया गया। अतः विभाग/शासन अन्य सभी इकाईयों की आंतरिक जाँच यह सुनिश्चित करने के लिये कर सकते हैं कि वे नियमों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य कर रहे हैं।